हज़रत ईसा अ.स. की मृत्यु

(मुस्लिम–जगत् के श्रेष्ठ विद्वानों के प्रकाशित मत)

وفاتِ مسیح علیہ السلام

संपादक व अनुवादक

डॉ. ख़ुर्शीद आलम तरीन

(2020 AD)

kafir-musalman.org

अल्लाह के नाम से, जो अपार दयालु, बार बार कृपा करने वाला है।

हज़रत ईसा[अ.स.] की मृत्यु

(मुस्लिम–जगत् के श्रेष्ठ विद्वानों के प्रकाशित मत)

दो शब्द –– संपादक की ओर से

आज कल इस्लाम और ईसाइयत के बीच एक जबरदस्त वैचारिक संघर्ष जारी है। बहस का मुद्दा हज़रत ईसा[अ.स.] का व्यक्तित्व है। कुरआन शरीफ़ में ईसाइयों के उस अवैज्ञानिक सिद्धांत का अनेकशः खण्डन मौजूद है जिसके अनतर्गत हज़रत ईसा[अ.स.] को साक्षात ईश्वर माना जाता है। लेकिन हज़रत ईसा[अ.स.] के सशरीर आसमान पर उठाये जाने वाली आम मुस्लिम धारणा से ईसाइयों के इस मत को अकारण ही बल मिल जाता है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ईसाई धर्म–प्रचारक मुसलमानों की इस प्रचलित मान्यता को स्वयं इस्लाम ही के विरुध एक जबरदस्त हथियार के तोर इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिये ईसाई प्रचारकों का यह लेखांश जो अनेक ट्रैकटों और निबंधिकाओं में प्रकाशित होता रहा है :

> ''कुरआन शरीफ़ से साफ़ ज़ाहिर कि जिस समय दुश्मनों ने ईसा मसीह को पकड़ना चाहा , आसमान से फ़रिश्ते उतरे और ईसा मसीह को सशरीर उठा कर आसान पर ले गए .....लेकिन जब मक्का में दुश्मनों ने मुहम्मद साहिब का घेराव किया तो आसमान से कोई फरिश्ता उन को बचाने नहीं आया और न उन्हें आसमान पर उठाया गया। क्या यह ज़मीन व आसमान का अन्तर नहीं? अन्य पैग़म्बरों को भी अगर उनके दुश्मनों से बचाया है तो इसी धरती पर। ईसा मसीह का विशेष रूप से आसमानी संरक्षण इस बात की स्पष्ट दलील है कि वो अन्य सभी नबियों और पैग़म्बरों में अनुपम और श्रेष्ठतम हैं।

'' ईसा मसीह का आज तक सशरीर आसमान पर रहना और भौतिक शारीर की सुलभ आवश्यक्ताओं के बावजूद खानपान से विरक्त होना, भौतिक शरीर के रहते हुए भी परमात्मा के गुण ––***अल्–आन कमा कान*** (*एक ही हालत या दशा पर स्थिर रहने वाला)* का धारक हो जाना ––ईसा मसीह की ये विशेषताएं इस्लामी मान्यताओं का अभिन्न अंग हैं। इसके विपरीत कुरआन शरीफ़ में संपूर्ण मानव जाति के बारे में आता है –– *''तुम इसी (धरती) पर जीयो गे, और इसी में मरो गे, और इसी से निकाले जाओ गे''* (7 : 25) ..... यदि कोई मनुष्य कहला कर भी आसमान पर (बिना खानपान) ज़िन्दा रह सके तो मानना पड़ेगा कि उस की मनुष्यता संपूर्ण मानव जाति से निराली है। फिर समस्त पैग़म्बरों और नबियों के बारे में लिखा है –– *''हम ने उन के शरीर ऐसे नहीं बनाये कि खानपान के बिना ही हमेशा जीवित रह सकें''* (21 : 8)। अब जो कोई बिना खानपान भौतिक शरीर लेकर ज़िन्दा रह सके वह अवश्य अन्य सभी नबियों से निराला और श्रेष्ठतम है ..... ईसा मसीह जो लगभग दो हज़ार वर्ष से बिना कुछ खाए पिये जिन्दा है उस को उन पैग़म्बरों और नबियों में शुमार नहीं किया जा सकता जिन के जीवन का दारोमदार खानपान पर है। अब चूंकि मुहम्मद साहिब इन सब गुणों से वंचित हैं तो क्या यह साफ़ ज़ाहिर नहीं कि ईसा मसीह उन से श्रेष्ठ और कई दर्जे उत्तम हैं?''

परन्तु जब हम पवित्र कुरआन का अध्ययन करते हैं, तो हमें साफ ज्ञात होता है, कि हज़रत ईसा[अ.स.] भी अन्य सभी पैग़म्बरों की भांति अपनी स्वाभाविक मौत मर चुके हैं। हज़रत ईसा[अ.स.]की स्वाभाविक मृत्यु की घोषणा वर्तमान ईसाई मत के लिये घातक है। क्योंकि ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मसीह ने सलीब पर जान देकर हम सब के पाप अपने सिर लेलिये थे। अतः ईसा मसीह के इस कर्म पर विश्वास लाने मात्र से ही हम पापमुक्त हो जाते हैं। अब यदि यह साबित हो जाए कि ईसा मसीह ने सलीब पर प्राण त्यागे ही नहीं तो वर्तमान ईसाई धर्म का अस्तित्व आप से आप शून्य हो कर जाता है।

अहमदिय्या आंदोलन के संस्थापक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद

साहब क़दियानी[अ.र.] ने अल्लाह की वाणी *(इलहाम)* के अधीन कुरआन, तर्क और इतिहास के यथासंभव प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि हज़रत ईसा[अ.स.] भी आम इन्सानों की भांति अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।

यह जो हज़रत पैग़म्बरश्री मुहम्मद[सल्ल.] की ***हदीसों*** (कथनों) और बाइबिल में हज़रत ईसा[अ.स.] के पुनरागमन की भविष्यवाणियाँ आई हैं, उन के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फ़रमाया कि इस तरह की भविष्यवाणियों का अर्थ हमेशा यही होता है कि अमुक व्यक्ति का पुनरागमन किसी और व्यक्ति के रूप में होगा।[1] यही वजह है कि आने वाले ***मसीहा*** के प्रसंग में हज़रत पैग़म्बरश्री मुहम्मद[सल्ल.] ने उसे ***इमामुकुम मिन्कुम*** (देखो ***बुखारी व मुस्लिम***) या ***फ़अम्मकुम मिनकुम*** (देखो ***मुस्लिम***) कह कर पुकारा है, यानि *वह मुसलमानों में से उनका इमाम होगा कहीं बाहर से नहीं आयेगा*। इसके अलावा ***हदीस*** के प्रामाणिकतम ग्रन्थ ***बुख़ारी शरीफ़*** में हज़रत ईसा मसीह[अ.स] का हुलिया यों प्रतिपादित हुआ है —— ***''उस का रंग सुर्ख और केश घुँघराले थे''*** (जिल्द 2, पृ.158), उसी स्थल पर आने वाले ईसा के बारे में स्पष्ट लिखा है कि —— ***''उसका रंग गेहुँआ, पुरुषों में सुन्दर, और वह सीधे केशों वाला है।''*** इस से साफ ज़ाहिर है कि आने वाला ईसा और पूर्वकालीन ईसा मसीह एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब को ***इलहाम*** द्वारा यह भी बताया गया कि आने वाले ***प्रतिज्ञात मसीहा*** आप ही हैं।

इस घोषणा ने सर्वत्र एक तीव्र प्ररोध को जन्म दिया। मुसलमान उलेमा का अधिकांश हज़रत मिर्ज़ा साहब के विरुद्ध आग उगलने लगा। हर तरफ़

---

1. इस तथ्य की पुष्टि धर्मसाहित्य द्वारा भी होती है। विश्व के प्राचीनतम धर्म यानि हिन्दू धर्म के श्रेष्ठतम ग्रन्थ भगवद्गीता के अनुसार श्री कृष्ण अनेक बार इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं। तो क्या हर बार उनका व्यक्तित्व एक ही था? महा पुरुषों के पुनरागम में सिर्फ उन की दिव्य शक्तियों और सद्गुणों का देश और काल के अनुरूप पुनरप्रदर्शन होता है, उन के शरीरों का नहीं। बाइबिल में ***'मसीहा'*** के आगमन से पहले हजरत ***एलियाह*** के पुनरागमन की भविष्यवाणी है। जब हज़रत ईसा[अ.स] से इस विषय में पूछा गया कि यदि आप ही सच्चे मसीहा हैं तो फिर वह एलियाह कहां है जिस को मसीहा से पहले आना था? हज़रत ईसा[अ.स] ने उत्तर दिया कि हज़रत ***यहय्या*** [अ.स.] (यूहन्ना बपतिस्मादाता) वह प्रतिज्ञात (Promised) एलियाह है, तुम चाहे इस वास्तविकता को मानो या न मानो (देखो ***मत्ती*** 11:13—14 व 17:9—12)।

से गाली–गलौच होने लगी। आपको खुले आम ***मुर्तद*** (इस्लामत्यागी, apostate) करार दिया गया। जगह जगह से आप के खिलाफ़ ***कुफ़्र*** के ***फ़तवे*** जारी होने लगे। लेकिन अर्ध शताब्दी से अधिक बीत जाने के पश्चात् अब मुस्लिम–जगत् को हज़रत मिर्ज़ा साहब के दावों की गंभीरता का एहसास हाने लगा है। हज़रत ईसा[अ.स.]की मृत्यु के बारे में उलेमा अब साधारणतया हज़रत मिर्ज़ा साहब के मत को ही अंगीकार करने लग पड़े हैं। यह निश्चय ही एक स्वस्थ चिन्ह है, जिस को निस्संकोच हज़रत मिर्ज़ा साहब के दावे की सत्यता के प्रतिग्रहण की ओर एक प्रारंभिक एवं साकारात्मक कदम कहा जा सकता है।

हज़रत मिर्ज़ा साहब का दावा और दृष्टिकोण एकदम साफ और बोधगम्य है। कुरआन, हदीस और इतिहास के आकाट्य प्रमाणों और तथ्यों के अनुसार हज़रत ईसा[अ.स] मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन उनके पुनरागमन संबंधी भविष्यवाणियां भी इतनी बेशुमार हैं कि उनकी विश्वसनीयता को झुठलाना संभव नहीं। कारण, मुस्लिम विद्वानों ने हदीसों की विश्वसनीयता परखने के जितने भी नियम बनाये हैं ये भविष्यवाणियां उन सब पर खरी उतरती हैं। इसके अलावा इन पुनरागमन संबंधी भविष्यवाणियों के साथ और बहुत सारी भविष्यवाणियां जुड़ी हुई हैं, जैसे ***दज्जाल*** (Anti- Christ), और ***याजूज*** व ***माजूज*** (Gog and Magog) का प्रकटन, इस्लाम का पतन और फिर अन्तिम सर्वविजय। ये हदीसें एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे गुत्थी हुई हैं कि किसी एक का इन्कार मुम्किन ही नहीं ––पूरे हदीस समूह को ही छोड़ना पड़ता है। और इस समूह को अविश्वसनीय ठहराना मानो संपूर्ण हदीस साहित्य का ही परित्याग होगा।

अब यदि ये हदीसें सही हैं, जैसा कि वो हैं, तो प्रश्न यह है कि हज़रत ईसा[अ.स.] मुर्दों में से जिन्दा हो कर इस दुनिया में कैसे वापस आयें गे? क्योंकि कुरआन और हदीस की स्थायी शिक्षानुसार मुर्दे पुनः जीवित हो इस संसार में वापस लौटा नहीं करते। कुरआन शरीफ़ में साफ़ आया है कि ––'' जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वह लौट कर इस दुनिया में नहीं आते''(21 : 95)। इस नियम को अनयत्र भी प्रतिपादित किया गया है (देखो कुरआन शरीफ़ 23 : 100; 39 : 42)। इसी प्रकार हदीस साहित्य में एक घटना का उल्लेख मिलता है जिसको विचाराधीन आयतों की

व्याख्या कहा जा सकता है :

"अब्दुल्लाह के बेटे जाबिर[रज़.] कहते हैं, मुझे हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल] मिले और फ़रमाया : ऐ जाबिर क्या वजह है कि मैं तुझे चिन्तित पाता हूँ? मैं ने निवेदन किया : ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरे पिताश्री धर्मयुद्ध में शहीद हो गए और पीछे एक बड़ा परिवार तथा कर्ज़ा छोड़ गए। फ़रमाया क्या में तुझे शुभसमाचार दूँ कि तेरे पिता को अल्लाह के यहाँ क्या मामला पेश आया। निवेदन किया : सुनाइए —— (यहां इस लम्बी हदीस का एक टुकड़ा छोड़ दिया गया है) ..... अल्लाह ने (जाबिर के पिता से) कहा : ऐ मेरे बन्दे! तू मेरे सामने कोई इच्छा प्रकट कर कि मैं तुझे दूँ। उस ने निवेदन किया : मेरे रब! मुझे पुनः जीवित कर दे कि मैं दुबारा तेरे मार्ग में मारा जाऊँ। सर्वोच्च रब ने फ़रमाया : यह मैं पहले वचन दे चुका हूँ कि (जो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं गे) वह पुनः लौट कर (उस दुनिया में) नहीं जाएं गे"

(इबन माजा 24 : 15)

यह हदीस भी इस बात का कतई फैसला करती है कि मुर्दा कभी इस दुनिया मैं लौट कर नहीं आ सकता।

कुरआन व हदीस के इस परिदृश्य में हज़रत मिर्ज़ा साहब वाला एकमात्र विकल्प ही यथोचित एवं धर्मसंगत प्रतीत होता है। वह यह कि मसीहा का पुनरागमन किसी ऐसे ***मुजद्दिद*** (*मुस्लिम पुनरुद्धारक*) का आविर्भाव है जिसको हज़रत ईसा[अ.स.]की शक्ति, स्वभाव और सद्गुणों से युक्त किया गया हो। अल्लामा सर मुहम्मद इक़बाल[र.अ.]ने भी इस व्याख्या को बुद्धिसंगत माना है, वे लिखते हैं :

"जहां तक मैं ने इस आनदोलन के उद्देश्य को समझा है, अहमदियों का यह विश्वास है कि हज़रत मसीह[अ.स.] की मौत एक साधारण मरणशील प्राणी की मौत थी और मसीह का पुनरागमन एक ऐसे व्यक्ति का आगमन है जो रूहानी तौर पर उसके सदृश्य है। इस मत के कारण इस आनदोलन पर एक तरह से प्रज्ञाबुद्धि का रंग चढ़ जाता है।"

(अल्लामा इक़बाल का पैग़ाम मिल्लते इस्लामिया के नाम , पृ. 22 व 23)

इसी वास्तविकता को एक बार ***जमीअत उलमा–ए–हिन्द*** (*मुस्लिम उलेमा की अखिल भारतीय परिषद्*) के पूर्व अध्यक्ष मौलाना

किफ़ायत उल्लाह साहिब दहलवी[र.अ.] ने भी स्वकारा था। उन्हों ने एक अहमदी द्विवान की दलीलें सुन कर फ़रमाया था :

> ''अगर इस्राईली मसीह मर गया है तो फिर (मसीह के पुनरागमन संबंधी) सही हदीसों की वही व्याख्या उत्तम होगी जो माननीय मिर्ज़ा साहिब ने की है''
>
> (अखबार ''पैग़ामे सुलह'' लाहौर, 27 जून 1937 ई.)।

ऐसे ही रूहानी महापुरूष को उपमा की शैली में ***इबने मरयम*** *(हज़रत मरयम का पुत्र ईसा)* कह देते हैं। जैसे गालिब के इस मशहूर शेअर में :

इबन–ए–मरयम हुआ करे कोई
मेरे दुख की दवा करे कोई

और यह दिव्य पद हज़रत मिर्ज़ा साहब को स्वयं प्रभु द्वारा प्राप्त हुआ था। हम यहां आपके दावों की सविस्तार चर्चा नहीं कर सकते, इस विषय में रुचि रखने वाले पाठकों से निवेदन है कि वो हज़रत मिर्ज़ा साहब की असल किताबों का स्वयं अध्ययन करें। हम ने यहाँ अपनी विषय–वस्तु को हज़रत ईसा[अ.स.] की मृत्यु तक ही सीमित रखा है। क्योंकि यही वह एकमात्र विषय है जिसको मुस्लिम और ईसाई अधिवक्ताओं के मध्य विशेष महत्त्व प्राप्त है।

अल्–अज़हर (मिस्र) के प्रमुख मुस्लिम ***उलेमा*** का हज़रत ईसा[अ.स.] की मृत्यु के बारे में बाकायदा ***फ़तवा*** तथा अन्य आधुनिक मुस्लिम महा विद्वानों के प्रकाशित मतों देख कर यही लगता है कि अब मुस्लिम ***उलेमा*** हज़रत मिर्ज़ा साहब के युक्तियुक्त विचारों की गरिमा और प्रामाणिकता को पहचानने लग गए हैं।

अल्–अज़हर (मिस्र) के ***फ़तवे*** को हम यहां कुछ अन्य मुस्लिम ***उलेमा*** के मतों के संग प्रस्तुत कर रहे हैं –– ताकि हमारे मुस्लिम पाठक इन से प्रेरिणा लेकर हज़रत मिर्ज़ा साहब के दावों पर स्वयं चिन्तनमनन करें।

भवदीय
ख़ुर्शीद आलम

अल्लाह के नाम से, जो अपार दयालु, बार बार कृपा करने वाला है।

हज़रत ईसा[अ.स.] का *'रफ़अ'* *(स्वर्गारोहण)*

(मिस्र स्थित *अल्–अज़्हर* महा–विश्वविद्यालय की अधिसभा को श्री अबदुल करीम ख़ाँ का एक पत्र मध्य–पूर्व से प्राप्त हुआ। जिस में पूछा गया है कि —

प्रश्न :

1. क्या अल्लाह की किताब (कुरआन शरीफ़) और अल्लाह के रसूल[सल्ल] की हदीसों (पवित्र कथनों) के विवरणानुसार हज़रत ईसा[अ.स.] जिन्दा हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं ?

2. उस मुसलमान के बारे में क्या फ़तवा है जो इस बात को नहीं मानता कि हज़रत ईसा[अ.स.] अब तक (सशरीर) ज़िन्दा हैं ?

3. उस व्यक्ति के बारे में क्या फैसला है जो हज़रत ईसा[अ.स.] के पुनरागमन का इनकार करता है ? क्या उसे काफिर कहा जा सकता है ?

इस प्रश्न को हमारे वरिष्ठ आचार्य शैख़ मुहमूद शल्तूत (जो आगे चलकर *अल्–अज़्हर* महा–विश्वविद्यालय के रेक्टर बन गए) की सेवा में जवाब केलिये भेजा गया। उनके फ़तवे को नीचे अक्षरशः दरज किया जाता है)[1] :

हज़रत ईसा[अ.स.] की मृत्यु और कुरआन शरीफ़

कुर्आन शरीफ़ में हज़रत ईसा[अ.स.] के अन्त संबंधी चर्चा तीन अलग अलग स्थानों पर मिलती है :

1. ***सूरः आले इम्रान*** में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

''फिर जब ईसा ने उनकी ओर से अविश्वास महसूस किया, तो

---

1. मूल फ़तवा अरबी भाषा में है , जो पहली बार मिस्र के अरबी साप्ताहिक *''अल्–रिसालह''* (13 मई 1942 ई.) वाले अंक में प्रकाशित हुआ। यही फ़तवा किसी कदर संशोधन के साथ *अल्–अज़्हर* महा–विश्वविद्यालय्र की मासिक पत्रिका *''अल्–मुजल्लह''* के फ़रवरी 1960 ई. के अंक में भी प्रकाशित हुआ। असल फ़तवा में कुरआनी आयतों का हवाला आदि दरज नहीं, लेकिन पाठकगण की सुविधा के लिए इन हवालों को दरज कर दिया गया है। अहमदिय्या सम्प्रदाय के मुसलमान इस फ़तवा के उर्दू और अंग्रेज़ी अनुवादों को अब तक लाखों की संख्या में मुफ़्त बांट चुके हैं, हिन्दी अनुवाद पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है।

कहा : अल्लाह के मार्ग में मेरे सहायक कौन हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया : हम अल्लाह के (मार्ग में) सहायक हैं। हमें अल्लाह पर पूर्ण विश्वास है और तू साक्षी रह कि हम आज्ञाकारी हैं। हे हमारे पालनहार–स्रष्टा! हम उस पर ईमान लाए जो तू ने उतारा, और हम ने *रसूल* का अनूसरण किया, सो तू हमें गवाही देने वालों के साथ लिख। और (यहूदियों ने) योजना बनाई और (इधर) अल्लाह ने भी योजना बनाई, और अल्लाह योजना बनाने वालों में सर्वोत्तम है। जब अल्लाह ने कहा : ऐ ईसा! मैं तुझे (स्वाभाविक मौत) मारने वाला हूँ , और तुझे अपनी ओर बुलन्द करने वाला हूँ , और तुझे उन लोगों (के आरोपों) से पाक करने वाला हूँ जो इनकार करते हैं, और जिन लोगों ने तेरा अनुसरण किया उन्हें उन लोगों पर कयामत के दिन तक प्रधानता देने वाला हूँ जिन्हों ने इनकार किया। फिर मेरी ही ओर तुम सब की वापसी है, तब मैं तुम्हारे बीच उन बातों का फैसला करूँगा जिन के विषय में तुम मतभेद करते थे।''

(कुरआन 3 : 51–55)

2. ***सूरः अल्–निसाअ*** में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

''और उन के इस कथन के कारण कि हम ने मसीह, मरयम के पुत्र ईसा, अल्लाह के रसूल, को कतल कर दिया, जबकि उन्हों ने न उसे कतल किया और न सूली पर मारा किन्तु वह उनके लिये उस जैसा बना दिया गया, और निस्संदेह वे लोग जिन्हों ने इस बारे में मतभेद किया वे इस संबंध में शंकाग्रस्त हैं, उनके पास इसका कोई ज्ञान नहीं बस अनुमान के पीछे चलते हैं, और उन्हों ने उसे निश्चित रूप से कतल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उसको अपने यहां प्रतिष्ठित किया। और अल्लाह बलवान, तत्त्वदर्शी है।''

(कुरआन 4 : 157–158)

3. ***सूरः अल्–माअिदा*** में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

''और जब अल्लाह कहेगा : ऐ मरयम के पुत्र ईसा! क्या तू ने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माता को अल्लाह के सिवा दो ईश्वर बना लो? वह कहेगा : तू समस्त त्रुटियों से पाक है! मुझे कब शोभा देता कि मैं वह कहूँ जिस का मुझे अधिकार नहीं, यदि में ने ऐसा कहा होता तो तुझे इसका अवश्य ज्ञान होता, तू जानता है जो कुछ मेरे मन

में है और मैं नहीं जानता जो तेरे मन में है। तू ही परोक्ष की बातें जानने वाला है। मैं ने उन से कुछ नहीं कहा किन्तु वही जिस का तू ने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की उपासना करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब है, और मैं उन पर गवाह था जब तक मैं उनके बीच था फिर जब तू ने मुझे मृत्यु दे दी तो तू ही उनका रखवाला था, और तू हर चीज़ पर गवाह है।'' (कुरआन 5 : 116–118)

कुरआन शरीफ़ के यही तीन स्थल हैं जहां हज़रत ईसा[अ.स.] के अन्त की चर्चा है। ***सूरः अल्–माअिदा*** की आयत क़यामत के दिन के उस वार्तालाप को बयान करती है जब अल्लाह हज़रत ईसा से उस पूजा–अर्चना के विषय में प्रश्न करे गा जो संसार में उनकी तथा उनकी माताश्री की होती है। जिसका हज़रत ईसा[अ.स.] यही उत्तर देंगे :

''हे प्रभुवर! मैं ने उन्हें वही कुछ कहा जिस का तू ने मुझे आदेश दिया –– यही कि एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा रब है और मेरा भी। और जब तक मैं उनके बीच मौजूद रहा मैं उनका साक्षी था अलबता मुझे मालूम नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद उन्हों ने क्या किया।''

शब्द ''*तवफ़्फ़ा* '' की व्याख्या

''***तवफ़्फ़ा*** '' का शब्द कुरआन शरीफ़ में इतनी अधिकता से *'मृत्यु'* के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कि यही अर्थ इसका सर्वोपरि भाव बनकर रह गया है। यह शब्द किसी दूसरे भाव में केवल उसी वक़्त इस्तेमाल होगा जब उस भाव के लिए कोई विशेष संकेत मौजूद हों :

''कह : मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर नियुक्त किया गया है तुम्हारे प्राण निकाल लेगा *(यतवफ़्फ़ाकुम)* '' (कुरआन 32 : 11) ,

''(रहे) वो लोग जिन के प्राण फ़रिश्ते उस हालत में निकालते हैं *(तवफ़्फ़ाहुम)* जब वे अपनी आत्माओं के प्रति अन्याय कर रहे होते हैं'' (कुरआन 4 : 97) ,

''यदि तू देखे जब फ़रिश्ते काफिरों के प्राण निकालते हैं *(यतवफ़्फ़ा)* '' (कुरआन 8 : 50) ,

''हमारे भेजे हुए दूत उसके प्राण निकाल लेते हैं *(तवफ़्फ़त्हु)* '' (कुरआन 6 : 61) ,

''और तुम में से कोई ऐसा भी होता है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता

है *(युतवफ़्फ़ा)* '' (कुरआन 22 : 5) ,

''यहां तक कि उनको मृत्यु ले जाए *(यतवफ़्फ़ाहुन्न)* ''

(कुरआन 4 : 15) ,

''मुझे आज्ञाकारी की मौत मार *(तवफ़्फ़नी मुस्लिमा)* और मुझे नेक बन्दों में शामिल कर।'' (कुरआन 12 : 101)

सूरः अल्–माअिदा की आयत में प्रयुक्त शब्द *'तवफ़्फ़ैतनी'* का अर्थ वही मृत्यु है जो सब को मालूम है। संदर्भ को दृष्टि में रखा जाए तो समस्त अरबी भाषा भाषी इस शब्द का यही और सिर्फ यही अर्थ लें गे। तात्पर्य यह कि यदि इस आयत में हज़रत ईसा[अ.स.] के अन्त को दर्शाने वाली कोई और बात न भी होती तब भी यह कहना अनुचित और गलत था कि हज़रत ईसा[अ.स.]जिन्दा हैं, मरे नहीं।

इस बात की कतई कोई गुंजाइश नहीं कि यहां *वफ़ात* शब्द का अर्थ हज़रत ईसा[अ.स.]के आसमान से उतरने के बाद की मृत्यु है –– जैसा कि कुछ लोगों की मान्यता है कि हज़रत ईसा[अ.स.]आसमान पर जिन्दा हैं और अन्तिम ज़माना में आसमान से उतरें गे। विचाराधीन आयत में हज़रत ईसा[अ.स.] के संबंधों को उनकी अपनी जाति तक ही सीमित बताया गया है उनका किसी आने वाले अन्तिम ज़माना के लोगों से कोई संबंध नहीं। वैसे भी अन्तिम ज़माना के लोग तो निश्चय ही हज़रत पैग़म्बरश्री मुहम्मद[सल्ल] के अनुयायी होंगे न कि हज़रत ईसा[अ.स.]के।[1]

'रफ़अहुल्लाहु इलैहि' का अर्थ

सूरः अल्–निसाअ के इस पद –– ***बल् रफ़अहुल्लाहु इलैहि*** *(बल्कि अल्लाह ने उसको अपने यहां प्रतिष्ठित किया)* –– का अर्थ कुछ

1. एक और दृष्टि से देखें, तब भी यह आयत हज़रत ईसा[अ.स.] की मृत्यु को निश्चयात्मक रूप से साबित करती है। क्योंकि इस आयत में ईसाइयों की धारणाओं के बिगड़ने का ज़माना हज़रत ईसा[अ.स.] की मृत्यु उपरांत बताया गया है। और चूंकि वो कुरआन के अवतरण से पहले ही बिगड़ चुक थे, इस लिये हज़रत ईसा[अ.स.]की मृत्यु भी कुरआन के अवतरण से पहले हो चुकी थी। बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल]की यह हदीस मिलती है, फ़रमाया :

*''जब क़यामत के दिन मेरी **उम्मत** (अनुयायी समुदाय) के कुछ व्यक्ति पकड़ कर नरक की ओर ले जाए जायें गे, और अल्लाह कहे गा : (हे मुहम्मद !) तू नहीं जानता कि इन्हों ने तेरे बाद क्या किया। तब मैं वही बात कहूँ गा जो नेक बन्दे (ईसा[अ.स.]) ने कही थी ––'और मैं उन पर गवाह था जब तक मैं उनके बीच था फिर जब तू ने मुझे मृत्यु दे दी तो तू*

(शेष अगले पृष्ठ पर)

टीकाकरों ने या यों कहिये कि बहुत सारे टीकाकारों ने यही लिया है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा[अ.स.]को सशरीर आसमान पर उठा लिया था। उनका कहना है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा[अ.स.]की शकल किसी और व्यक्ति पर डाल दी थी (जिसको यहूदियों ने सलीब पर मार डाला) और हज़रत ईसा[अ.स.]को सशरीर आसाम पर उठा लिया था। अतः हज़रत ईसा[अ.स.] आसमान पर जिन्दा हैं और वहां से आखिरी ज़माना में उतरें गे, और फिर *सुअर का वध और सलीब को तोड़ें* गे। उन की इस मान्यता का आधार यह है :

प्रथमतः, वो कथन जिन में ***दज्जाल*** **(Anti-Christ)** के प्रकटन उपरान्त हज़रत ईसा[अ.स.]के उतरने का उल्लेख है। किन्तु इन कथनों में काफ़ी अन्तर्विरोध है, इनके शब्द और इनका भाव दोनों एक दूसरे का खण्डन करते हैं। इन कथनों में इतनी असमानता है कि समन्वय संभव ही नहीं। इस तथ्य को हदीसवेताओं ने भी स्वीकारा है। इसके अतिरिक्त, इन कथनों का वर्णन वहब बिन मुन्नब्बह और कअब अल्–अहबार ने किया है ये दोनों सज्जन ***अहले किताब*** यानि यहूदियों में से थे, जो इस्लाम लाये थे। हदीसवेताओं एवं हदीस–समीक्षकों के निकट उन (के बयान) का स्तर सब को मालूम है।

द्वितीयतः, वह कथन जिस की रिवायत अबू हुरैरह[रज़] ने की है, जिस में उन्हों ने हज़रत ईसा[अ.स.] के उतरने की सूचना दी है। यदि इस कथन को सही भी मान लिया जाए तब भी यह अकेली हदीस है। और यह बात इस्लाम के सभी विद्वानों के यहां निर्विवाद है कि इस तरह की अकेली हदीस को न तो किसी मौलिक धारणा का आधार बनाया जा सकता है, और न ही परोक्ष संबंधी घटनाओं के विषय में इस पर भरोसा किया जा सकता है।

ही उनका रखवाला था , और तू हर चीज़ पर साक्षी है।"

हमारे पैग़म्बरश्री मुहम्मद[सल्ल]का हज़रत ईसा[अ.स]के शब्द इस्तेमाल करना साफ़ बताता है कि आप के निकट हज़रत ईसा[अ.स]की ***उम्मत*** भी उनकी मृत्यु के बाद बिगड़ी , और इसी प्रकार आपकी ***उम्मत*** आप की मृत्यु के उपरांत बिगड़े गी।

(संशोधित फ़तवे से)

तृतीयतः , ***मिअराज*** वाली ***हदीस***, जिस में कहा गया है कि जब हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल] ऊपर आसमनों की ओर चले गए, तो एक के बाद एक आकाशद्वार खोलते गए, द्वार खुलता तो भीतर प्रवेश करते। आप ने हज़रत ईसा[अ.स.]और उनके मौसेरे भाई हज़रत यहय्या[अ.स.] को दूसरे आसमान पर देखा। इस प्रमाण की कमज़ोरी साबित करने के लिए इतना बता देना ही काफी है कि ***हदीस*** के अनेक वेता यह मत प्रकट कर चुके हैं कि हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल] की पूर्ववर्ती पैग़म्बरों से यह मुलाकात रूहानी थी शारीरिक न थी (देखो ***'फ़तह अल्–बारी', 'ज़ाद अल्–मआद'*** इत्यादि)।

आश्चर्य की बात तो यह है कि ये लोग विचाराधीन आयत के ***'रफ़अ'*** (आरोहण, ऊपर उठना) शब्द की व्याख्या करते समय ***मिअराज*** वाली ***हदीस*** को आधार बनाते हैं, और इस से हज़रत ईसा[अ.स.]का सशरीर आसमान पर उठाया जाना साबित करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल] की हज़रत ईसा[अ.स.] से इस मुलाकात को एक शारीरिक भेंट मानते हैं और सबूत के तोर ***'बल् रफ़अहुल्लाहु इलैहि'*** का पद पेश कर देते हैं। फल यह कि जब ये लोग हदीस पेश करते हैं तो अपने काल्पनिक अर्थ की पुष्टि के लिए इस आयत को प्रस्तुत कर देते हैं, और जब आयत की व्याख्या करने लगते हैं तो अपने काल्पनिक अर्थ को सिद्ध करने के लिए इसी हदीस को प्रस्तुत कर देते हैं।

***सुरः आल अिमरान* में *'रफ़अ'* का अर्थ**

जब हम ***सूरः आल इमरान*** की आयत ***'इन्नी मुतवुफ़्फ़ीक व राफ़िअ़ुक इलय्य'*** *(मैं तुझे (स्वाभाविक मौत) मारने वाला हूँ, और तुझे अपनी ओर बुलन्द करने वाला हूँ)* को ***सूरः अल्–निसाअ*** की आयत ***'बल् रफ़अहुल्लाहु इलैहि'*** *(बल्कि अल्लाह ने उसको अपने यहां प्रतिष्ठित किया)* के साथ मिला कर पढ़ते हैं तो साफ ज्ञात होता है कि पहली आयत में जिस ***रफ़अ*** (आरोहण, ऊपर उठना) का वचन दिया गया है उसी के पूरा होने का उल्लेख दूसरी आयत में है। पहली आयत में मृत्यु, ***रफ़अ*** और काफिरों के झूठे आरोपों से दोषमुक्ति के वादे थे। यद्यपि दूसरी आयत में मृत्यु और दोषमुक्ति की चर्चा नहीं, सिर्फ अल्लाह के यहां प्रतिष्ठा पाने का ज़िक्र है। पर दोनों आयतों के समन्वय के लिये ज़रूरी है कि इन सब वादों को यहां भी दृष्टिगत रखा जाए। सो आयत का भावार्थ यह हुआ कि

अल्लाह ने हज़रत ईसा[अ.स.]को पहले मृत्यु दी, और फिर उनका ***रफ़अ*** किया यानि ***उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की***, और उन्हें काफिरों के आरोपों से दोषमुक्त किया।

कुरआन शरीफ़ के सुप्रसिद्ध टीकाकार *अल्लामा आलूसी* ने आयत ***'इन्नी मुतवुफ़्फ़ीक'*** की जो विभिन्न व्याख्याएं की हैं उन में स्पष्टतम यही है ––

'मैं तेरा जीवनकाल पूरा करूँ गा और तुझे स्वाभाविक मौत मारूँगा तुझ पर कोई ऐसा व्यक्ति हावी न होगा जो तुझे कतल कर सके या सलीब पर मार सके।'

आयत ***मा कतलूहू व मा सलबूहू*** *(उन्हों ने न उसे कतल किया और न सूली पर मारा)* का सहज भाव भी यही है। अब जिस व्यक्ति का कतल न हुआ हो और न ही उसे सलीब पर खींचा गया हो, उस के बारे में ज़रूरी नहीं कि उस की मौत का भी इनकार कर दिया जाए। जीवनकाल को पूर्ण कर स्वाभाविक मौत मर जाने का सहज अर्थ यही हुआ कि हज़रत ईसा[अ.स.]को दुश्मनों की घातक योजनाओं से सुरक्षित रखा गया। ज़ाहिर है कि मरणोपरांत ***रफ़अ*** का अर्थ इसके अलावा और कुछ नहीं कि अल्लाह ने उनके दर्जे बलंद किये या उन्हें प्रतिष्ठा में ऊँचा किया, न यह कि उनको सशरीर आसमान पर उठा लिया। विशेषकर जब –– *''और तुझे उन लोगों (के आरोपों) से पाक करने वाला हूँ जो इनकार करते हैं''* –– वाला पद इसके साथ जुड़ा हुआ हो, जो यही साबित कर रहा है कि यहां रूहानी सम्मान और प्रतिष्ठा रूपी उच्चता ही अभीष्ट है।

स्वयं कुरआन शरीफ़ में ***रफ़अ*** शब्द अनेकशः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जैसे :

*''उन घरों में जिन के सम्मानजनक आध्यात्मिक उत्थान (**तुर्फ़अ**) की अल्लाह ने अनुमाति दी है''*

(कुरआन 24 : 36) ,

*''हम जिस के चाहते हैं दर्जे बुलन्द करते हैं (**नर्फ़अु**)''*

(कुरआन 6 : 84; 12 : 76) ,

*''और हम ने तेरी कीरति को तेरे लिये बुलन्द किया (**रफ़अना**)''*

(कुरआन 94 : 4) ,

*''और हम ने उसे प्रतिष्ठा के उच्च आसन पर आसीन कर दिया (**रफ़अनाहु**)''* (कुरआन 19 : 57) ,

*''अल्लाह उन लोगों के दर्जे बुलन्द करेगा (**यर्फ़ुअ**) जो ईमान लाये . .....,''* (कुरआन 58 : 11) इत्यादि।[1]

मतलब यह कि आयत ***व राफ़िअुक इलय्य*** *(और तुझे अपनी ओर बुलन्द करने वाला हूँ)* और आयत ***बल् रफ़अहुल्लाहु इलैहि*** (*बल्कि अल्लाह ने उसको अपने यहां प्रतिष्ठित किया)* में भी सर्वथा वही भाव अभीष्ट है जो इस तरह के वाक्यों से निकलता है :

''अमुक व्यक्ति अपने सर्वोच्च मित्र यनि परमात्मा से जा मिला''

''अल्लाह हमारे साथ है'' ,''बलिष्ठ सम्राट यानि परमात्मा के यहां''

इस प्रकार के वाक्यों से अभिप्रेत सिर्फ परमात्मा की शरण अथवा संरक्षण है। समझ में नहीं आता कि शब्द ***इलैहि*** *(प्रभु की ओर)* में टीकाकार आसमान कहां से घसीट लाते हैं। अल्लाह की कसम! यह कुरआन शरीफ की सहज एवं सुस्पष्ट वर्णनशैली के प्रति घोर अन्याय है। और यह अन्याय सिर्फ़ उन तथाकथित मान्यताओं, कथाओं और कथनों के आधार पर किया जा रहा है जिन की स्वयं अपनी कोई यथार्थता नहीं, प्रामाणिक होने की तो बात ही नहीं।

विचाराधीन आयतों का सही भाव

हज़रत ईसा[अ.स.]एक पैग़म्बर मात्र थे, और उनसे पहले के सभी पैग़म्बर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जब हज़रत ईसा[अ.स.] की जाति ने उनका विरोध किया, तो उन्हों ने भी अन्य पैग़म्बरों की भांति अल्लाह से प्रार्थना की। अल्लाह ने अपनी परम शक्ति और प्रज्ञान से हज़रत ईसा[अ.स.]को बचा लिया और उनके शत्रुओं की कुयोजनाओं को विफल कर दिया। इसी तथ्य को कुरआन शरीफ़ इन आयतों में बयान किया गया है ——*''फिर जब ईसा ने उनकी ओर से अविश्वास*

---

1. हम स्वयं रोज़ नमाज़ में ***वर्फ़अिनी*** (ऐ प्रभुवर! मेरे दर्जे बुलन्द कर, मुझे प्रतिष्ठित कर) कहते हैं। अल्लाह का एक नाम ***अल्–राफ़िअु*** भी है, जिस का अर्थ समस्त शब्दार्थविज्ञानियों ने यही बताया है कि वह अपने मित्रों और अपने भक्तों को अपना सामीप्य प्रधान कर उनके दर्जे बुलन्द करता है। इन्सान का किसी ऊँची जगह पर चले जाना अल्लाह के निकट बुलन्दी नहीं। और फिर परमात्मा कोई शरीर नहीं कि वह किसी उच्च स्थान पर बिराजमान हो। (संशोधित फ़तवे से)

महसूस किया, तो कहा : अल्लाह के मार्ग में मेरे सहायक कौन हैं ? ... . अन्त तक।'' इस आयत में अल्लाह ने साफ़ साफ़ बताया है कि उसकी योजना दुश्मनों की कुयोजना से अति सूक्ष्म और कारगर थी। सो अल्लाह की शरण और संरक्षण के सामने हज़रत ईसा[अ.स.]की क़ौम की वो सारी कुयोजनाएं विफल हो कर रह गईं जो उन्हों ने उनकी हत्या हेतु बनाई थीं। और आयत —— *''जब अल्लाह ने कहा :ऐ ईसा! मैं तुझे (स्वाभाविक मौत) मारने वाला हूँ, और तुझे अपनी ओर बुलन्द करने वाला हूँ ''*—— में अल्लाह ने यह शुभसूचना दी है कि वह हज़रत ईसा[अ.स.]को उसके दुश्मनों की कुयोजनाओं और षड़न्त्रों से बचा लेगा, दुश्मनों की सारी चालें विफल हो कर कालांतर में समाप्त हो जाएंगी। परिणाम यह कि हज़रत ईसा[अ.स.] अपना जीवनकाल पूर्ण कर स्वाभाविक मौत मर जाएं गे। उन्हें न तो कतल किया जाएगा और न सलीब पर मारा जाएगा। ***तब*** यानि ***मरणोपरांत*** अल्लाह उन्हें अपने यहां ***रफ़अ*** दे गा।

यही वे आयतें हैं जिन में हज़रत ईसा[अ.स.]और उनकी जाति के विरोध के अन्त की चर्चा है। प्रत्येक पाठक इन आयतों का यही अर्थ लेने पर बाध्य है, बशर्ते कि वह परमात्मा की उस नीति से सुपरिचित हो जिसका प्रदर्शन परमात्मा उस निर्णायक समय करता है जब उसे अपने पैग़म्बरों को दुश्मनों के आक्रमण से बचाना अभीष्ट हो। यह भी अनिवार्य है कि उसका मनमस्तिष्क उन तमाम बेबुनियाद किस्से कहानियों से एकदम ख़ाली हो जिन की प्रामाणिकता का कुरआन शरीफ़ में लेशमात्र भी सबूत नहीं। फिर यह बात भी मेरी समझ से बाहर है कि हज़रत ईसा[अ.स.]को दुश्मन यहूदियों के बीच से उठा कर आसमान पर ले जाना किस तरह ***मकर*** यानि सूक्ष्म–योजना या उत्तम योजना हो सकती है? जबकि इसको विफल करना यहूदियों के बस में न था, अकेले यहूदियों के ही बस में क्यों किसी भी इन्सान के बस में नहीं हो सकता था। एक योजना को दूसरी योजना का तोड़ उसी वकत कहा जाये गा जब वे दोनों एक जैसी हों, और न ही प्रकृति के साधारण नियमों से हटी हुई हों। बिल्कुल ऐसी ही आयत हमारे पैग़म्बरश्री मुहम्मद[सल्ल] के बारे मैं भी आई है :

> *''जब वे, जिन्हों ने इन्कार किया, तेरे बारे में कुयोजनाएं बनाने लगे कि तुझे कैद कर लें या तुझे कतल कर दें या तुझे निष्कासित कर दें : उन्हों ने कुयोजनाएं बनाईं इधर अल्लाह ने भी योजना बनाई थी —— और*

अल्लाह योजना बनाने वालों में सर्वोत्तम है।'' (कुरआन 8 : 30)

सारी बहस का सारांश

इस सारी बहस का सारांश यह हुआ :

1. कुरआन व हदीस में ऐसी कोई सनद या प्रमाण मौजूद नहीं कि जिस के आधार पर यह मान्यता रखी जा सके कि हज़रत ईसा[अ.स]को जिन्दा आसमान पर उठा लिया गया, जहाँ वे अब तक जीवित हैं, और वहाँ से आख़िरी ज़माना में उतरें गे।

2. हज़रत ईसा[अ.स]संबंधी जितनी भी आयतें कुरआन शरीफ़ में वर्णित हैं उन से यही मालूम होता है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा[अ.स]को यही वचन दिया था कि वह उन्हें उनके स्वाभाविक जीवनकाल के अन्त पर मौत दे गा और उनके दर्जे बुलन्द करे गा और उन्हें काफिरों की कुयोजनाओं से सुरक्षित रखे गा। अल्लाह का यह वादा निश्चय ही पूरा हो गया। हज़रत ईसा[अ.स]के दुश्मन न तो उनका वध कर सके और न ही उन्हें सलीब पर मार सके, बल्कि अल्लाह ने उनका जीवनकाल पूर्ण कर उन्हें मृत्यु दी और फिर अपने यहाँ प्रतिष्ठत किया।

3. जो व्यक्ति हज़रत ईसा[अ.स]के सशरीर आसमान वर उठाए जाने, वहाँ अबतक जीवित होने और आखिरी ज़माना में आसमान से उतरने से इन्कार करता है, वह वास्तव में किसी ऐसी बात का इन्कार नहीं करता जिसको विश्वसनीय या कतई तौर पर प्रमाणित कहा जा सके। अतः ऐसे व्यक्ति को इस्लाम या ईमान के दायरे के बाहर करार देना कैसे जाइज़ हो सकता है। उस पर मुर्तद (धर्मत्यागी) होने का हुक्म लगाना किसी भी तरह सही नहीं। वह पक्का मुअमिन व मुसलमान है। जब वह मरे तो मुसलमानों की तरह उसका जिनाज़ह पढ़ना चाहिए और उसे मुसलमानों के कबरिस्तान में दफ़न करना चाहिए। अल्लाह के निकट उसके ईमान में कोई दोष नहीं। और अल्लाह अपने बन्दों के हालात से पूर्णतया वाकिफ़ है।

रहा प्रश्न का दूसरा भाग (वह यह कि मान लो कि वो दूबारा धरती पर लौट आते हैं, तो उस वक्त उनके इन्कार करने वाले को क्या समझा जाये गा), हमारे ऊपर के विवेचन के बाद ऐसी नौबत ही नहीं आती। और अल्लाह ही सर्वज्ञा है ! इति।

अन्य प्रतिष्ठित मुस्लिम विद्वानों के मत

1. **स्वर्ग. मौलाना अबुल्कलाम आज़ाद** र.अ.

6 अप्रैल ,1956 ई.

''आज (6 अप्रैल, 1956 ई.) बलोचिस्तान से डॉ. इनआम उल्लाह ख़ाँ सालारी पेंशनर ने मौलाना आज़ाद को लिखा कि ये मिर्ज़ाई लोग आप के साथ विभिन्न बातें जोड़ते रहते हैं, कभी कहते हैं कि मौलाना आज़ाद ***वफ़ात–ए–मसीह*** (हज़रत ईसा अ.स की मृत्यु) के कायल हैं.....जवाब में मौलाना आज़ाद ने लिखा कि ''***वफ़ात–ए–मसीह*** का उल्लेख स्वयं कुरआन शरीफ़ में मौजूद है।''

(***''मौलाना आज़ाद—एक सियासी डायरी''***, **संकलनकर्ता असर बिन अहया अन्सारी, दिल्ली, पृ. 543–44)**

''हज़रत ईसा अ.स के जीवित होने की धारणा मूलतः प्रत्येक दृष्टि से एक शुद्ध ईसाई धारणा है जो इस्लामी लिबास और रूप में प्रकट हुआ है।''

(नक़्शे आज़ाद, संकलनकर्ता मौलाना गुलाम रसूल महर र.अ., प्रकाशक किताब मंज़िल लाहौर)

2. **स्वर्ग. मौलाना शिब्ली नौमानी** अ.र.

उनका सन् 1905 ई. का एक इंटरव्यु उनके जीवन काल में ही छपा था, जिस में अहमदी भेंटकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मौलाना शिब्ली ने साफ़ साफ़ कहा था :

''**प्रश्न** : आपका हज़रत ईसा अ.स के जीवित होने के बारे में क्या विचार है?

उत्तर : वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसका सबूत कुरआन शरीफ़ की ***''फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी''*** (5 : 117) वाली आयत है। क्योंकि इस में हज़रत ईसा अ.स कहते हैं : *(ऐ अल्लाह!) जब तू ने मुझे मृत्यु दे दी तो तू ही उनका (अर्थात् मेरे अनुयायिओं का) निगरां था।* अब अगर हम उन्हें ज़िन्दा मानें तो इसका अनिवार्य तात्पर्य यही होगा कि वो अब भी अपने अनुयायिओं की निगरानी कर रहे हैं, जबकि वे इस बात का इनकार करते हैं। मतलब यह कि कुरआन शरीफ़ में तो यही लिखा है

कि हज़रत ईसा[अ.स] मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।

प्रश्न : मुसलमान उलेमा तो इस समय भी यही कहते हैं कि हज़रत ईसा[अ.स] (सशरीर) ज़िन्दा हैं?

उत्तर : वे मूर्ख हैं ज्ञानवान् नहीं।

प्रश्न : पूर्ववर्ती मुसलमानों में के अधिकांश उलेमा भी तो हज़रत ईसा[अ.स] को जीवित ही मानते आये हैं?

उत्तर : हाँ! यह सच है, लेकिन इस में उनका कोई दोष नहीं। कुरआन शरीफ़ एक असीम सागर है, इस में वर्णित बहुत से रहस्य आगे चल कर खुलें गे, किन्तु इस वक्त हज़रत ईसा[अ.स] की मृत्यु का मामला तो साफ़ हो गया। अब जो (मौलवी) इनकार करता है वह जाहिल है। और ये सब झूठे हैं।''

(अख़बार ''अल्–हकम'', क़ादियान, 10 मार्च 1906 ई., पृ. 7)

3. **स्वर्ग. मौलाना सैयद सुलैमान नदवी** [र.अ.]

इनके बारे में लखनऊ का मशहूर अखबार ***''सिद्दक़े जदीद''*** लिखता है :

''मौलाना ने कहा मेरा अपना विश्वास यह नहीं, अतः मैं (हज़रत ईसा[अस] के) इस (पुनरागमन) संबंधी हदीसों को अविश्वसनीय समझता हूँ। मौलाना सैयद सुलैमान नदवी ने अपने इस मत को मौलाना अहतिशामुल्हक़ साहब के सामने भी प्रकट किया था , लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि इस मान्यता की अभिव्यक्ति फ़ितना (उपद्रव) का कारण बने गी इस लिये मोन रहता हूँ, इस लिये भी कि यह मान्यता इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं।''

(अखबार *''सिक़े जदीद''* ,28 अक्तूबर 1955 ई.)

4. **स्वर्ग. ख़्वाजा हसन निज़ामी दहलवी** [र.अ.]

''बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा[अ.स] चौथे आसमान पर ज़िन्दा मौजूद हैं, कुरआन शरीफ़ से यह साबित होता है कि हज़रत ईसा[अ.स] को कतल नहीं किया गया और न सलीब दी गई, किन्तु यह साबित नहीं होता कि वे ज़िन्दा आसमान पर उठा लिये गए और अब तक ज़िन्दा हैं। बल्कि कुरआन शरीफ़ में यह है कि *''ऐ ईसा ! हम तुम को मृत्यु दें गे फिर अपने यहां तुम्हारा दरजा बुलन्द करें गे या अपने पास*

उठा लें गे ''लेकिन पहले वफ़ात (मृत्यु) का शब्द है जिसके माना मरने के हैं।''

(अख़बार ''मुनादी'' दहली , 18 सितंबर 1936 ई. ,पृ. 16)

5. **स्वर्ग. मौलाना मुहम्मद उसमान फ़ारक़लीत** र.अ.

(प्रधान संपादक अख़बार ***''अल्–जमीअत''*** दहली) ,

''यदि हज़रत ईसा अ.स का पुनरागमन इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों में शामिल होता, और इस को मुक्ति का आधार करार दिया जाता, तो निश्चय ही कुरआन शरीफ़ इस मान्यता की चर्चा सविस्तार करता। क्योंकि कुरआन शरीफ़ का दावा है कि मानवीय मार्गदर्शन की समस्त बातें इस में आ गयी हैं –– ***इन्न अलैना लल्हुदा*** *(हिदायत का मार्ग बताना हमारा काम है)* –– लेकिन कुरआन शरीफ़ में हज़रत ईसा अस के पुनरागमन का कहीं कोई उल्लेख नहीं। सो यह समझना सही होगा कि किसी पैग़म्बर का पुनरागमन, और वह भी (हमारे) *खातमल्–मुर्सलीन* सल्ल (**अन्तिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद** सल्ल) के बाद, सर्वथा कुरआन विरुद्ध है।''

(उर्दू डाइजेस्ट *''शबिस्तान''* , नई दहली , नवम्बर 1974 ई. ,पृ. 18)

6. **स्वर्ग. अल्लामा सर मुहम्मद इक़बाल** र.अ.

''मैं ज़यादा से ज़यादा आपको सिर्फ अपना अक़ीदा (विश्वास) बता सकता हूँ और बस। मेरे निकट ***महदी, मसीहा*** या ***मुजद्दिद*** के आगमन संबंधी हदीसें ईरानी और ***अजमी*** *(ग़ैर–अरबी)* विचारधाराओं का परिणाम हैं। अरबी विचार–धारा या कुरआन की सही स्पिरिट से इन का कोई संबंध नहीं।

(इक़बाल नामा , भाग 2, पत्र बनाम चौदहरी मुहम्मद अहसन साहिब, पृ. 231)

7. **स्वर्ग. मौलाना ज़फ़र अली ख़ाँ** र.अ.

(संपादक अख़बार ''ज़मीनदार'' लाहौर)

''हज़रत ईसा अ.स. के जीवित होने की मान्यता कोई इस्लामी मान्यता नहीं है, बहुत से मुसलमानों ने इस का इनकार किया है।''

(अख़बार ''मुजाहिद'' लाहौर , 12 स्तम्बर 1935 ई.)

8. मुस्लिम वर्लड लीग मक्का (Muslim World League Mecca)

मुसलमानों की इस विश्व–संस्था ने 1964 ई. में कुरआन शरीफ़ का एक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जिस में साफ लिखा है :

"Nowhere in the Qu'ran is there any warrant for the popular belief of many Muslims that God has "taken up" Jesus bodily into heaven."

(*The Message of the Qu'ran*, translated and explained by Muhammad Asad, Vol. I , footnote 172 , page 177, Muslim World League Mecca, 1964)

अर्थात् , ''अधिकांश मुसलमानों की यह आम धारणा कि अल्लाह ने हज़रत ईसा[अ.स] को सशरीर ***आसमान पर उठा लिया*** –– इस मान्यता की कुरआन शरीफ़ में कतअन कोई सनद मौजूद नहीं।''

9. स्वर्ग. मिर्ज़ा अबुल्फ़ज़ल

आप भारत के एक बहुत बडे विद्वान थे। इन्हों ने इस्लाम पर अंग्रजी और उर्दू में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इन का कुरआन शरीफ़ का अंग्रेज़ी अनवाद खासा अच्छा है। इस अनुवाद के अन्त पर कुरआन के कुछ ज़रूरी शब्दों की व्याख्या "Glossary" के रूप में है, ***'मसीह'*** शब्द के नीचे यह व्याख्या मिलती है :

"Messiah,The great traveller, as Jesus was.Born in Palestine where he lived upto the age of 12, after which the Gospel records know him not, as he was travelling in North India where he had come with the Buddhist pilgrims from the West. Here he travelled to all the Buddhist pilgramages right down to Jagannath Puri in the Bay of Bengal; living mostly with the Buddhists for 18 years after which he returned to his native town in Palestine where he was baptized by John. After this he spent about three years when he was persecuted and subjected to every ignominy short of death, escaping only narrowly by a flight to the North-West of India [S. 23. 50] where he is reported by Muhammad to have lived to the ripe old age of 125."

(**The Koran**, Abu'l-Fazal, Reform Society Bombay,1955)

''अर्थात् ***मसीह,*** शब्द का मौलिक अर्थ है *महा यात्री,* जो हज़रत ईसा थे। फ़लस्तीन में जन्मे, और वहां 12 वर्ष तक रहे। उसके बाद बाइबिल

उनके बारे में बिल्कुल मोन है, वह इस लिये कि वह उत्तर भारत में थे। जहां वह बौद्ध तीर्थयात्रियों के संग पूरब से आये थे। वहां उन्हों ने समस्त बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्र की और बंगाल खाड़ी में जगननाथ पुरी तक जा पहुंचे। इस प्रकार आप ने 18 साल बौद्धों के बीच बिता दिये। तत्पश्चात् आप फ़लस्तीन वापस लौट आये और यूहन्ना बपतिस्मादाता से बपतिस्मा लिया। इस के बाद आप वहां तीन साल के करीब ठहरे। उन्हें फ़लस्तीन में बहुत सताया गया, आप को हर तरह की निन्दा सहनी पड़ी। आप मुश्किल से जान बचा कर उत्तर–पश्चिमी भारत भाग आये (देखो **कुर्आन 23 : 50**)। जहां उन्हों ने हज़रत पैग़म्बरश्री मुहम्मद[सल्ल]के कथनानूसार 125 साल तक का बुढ़ापा गुज़ारा।''

10. अल्लामा अहमद अजूज़

बेरूत के सुप्रसिद्ध विद्वान जो लबनान में समस्त धार्मिक पाठशालाओं के नियंत्रक और लबनान के मुफ़्ती के सहायक थे, अपने एक पत्र में लिखते हैं :

''निस्संदेह हज़रत ईसा[अ.स.] अल्लाह के कथन ––***इन्नी मुतवफ़्फ़ीक*** (कुर्आन 3 : 54)––के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ***मुतवफ़्फ़ीक*** का अर्थ है *''तुझ को मौत दूँ गा''*। मृत्यु निश्चय ही एक ऐसी वास्तविकता है जो हो कर रहती है। इसी लिये अल्लाह ने हज़रत ईसा[अ.स.]की जुबान से कहलवाया है––*''मुझ पर शांति है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँ गा''* (कुर्आन 19 : 33)।''

(क्या हज़रत मसीह[अ.स.]ज़िन्दा हैं ?, संकलनकर्ता मौलवी मुहम्मद इब्राहीम, 1967 ई., पृ. 67)

■''हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल.]ने फ़रमाया कि मुझे जब्राईल फ़रिश्ते ने आकर यह सूचना दी कि मरयम के बेटे ईसा[अ.स.] एक सौ बीस बर्ष तक जीवित रहे।''

(हुजजुल्लकिरामा , पृ. 428 , व कंजुल्अुमाल जिल्द 6 पृ. 160)

■''हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल.]ने फ़रमाया कि यदि मूसा[अ.स.] और ईसा[अ.स.] ज़िन्दा होते तो उन्हें मेरे अनुसरण के सिवा चारा न था।''

(तफ़सीर इबन कसीर ,आयत 3 : 81 के अंतर्गत)

■''हज़रत पैग़म्बरश्री[सल्ल.] ने फ़रमाया कि यदि ईसा[अ.स.] ज़िन्दा होते तो उन्हें मेरे अनुसरण के सिवा चारा न था।''

(शरहे फ़िक़ह अक्बर, मिस्री, पृ 99)

मसीह के पुनरागमन का मसला

इस शिर्षक के अधीन आधुनिक मुस्लिम जगत् के एक महा विद्वान मौलाना वहीद उद्दीन ख़ां ने इस मसले की वही व्याख्या पेश की है जो वक्त के इमाम हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब[अस] ने डेढ सौ वर्ष पहले दुनिया के सामने रखी थी। उस वक्त उलेमा ने अपने रूढ़िवादी दक़ियानूसी विचारों के फलस्वरूप उनका डट कर खंडन किया, और इसी मसले को लेकर उन्हें काफ़िर तक कह दिया। लेकिन अल्लाह की शान! आज मुस्लिम विद्वान उनकी व्याख्या को ही सही और धर्मसंगत बताते हैं। समझ में नहीं आता कि अब विरोधी उलेमा के पास मुख़ालफ़त का कौन सा जवाज़ बाक़ी है। अल्लाह हम सब को दीन समझने और फिर उसपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे––आमीन!

अब मौलाना वहीद उद्दीन ख़ां साहिब का बयान पढ़ें :

''इस बहस से जुड़ा हुआ एक मसला वह है जिस को मसीह के पुनरागमन का मसला कहा जाता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि हज़रत मसीह आसमान में ज़िन्दा हैं और आख़िरी ज़माने में वह सशरीर आसमान से उतर कर ज़िमीन पर आयेंगे और दज्जाल को कतल करेंगे। यद्यपि यह मान्यता लोगों में काफ़ी प्रचलित है, लेकिन इस व्यापक मान्यता की सच्चाई का सबूत न कुरआन में मिलता है और न हदीस में। हदीस के विभिन्न संग्रहों में लगभग दो दरजन विश्वसनीय रिवायतें (हदीसें) ऐसी हैं जिन में मसीह के आविर्भाव का उल्लेख मौजूद है। फिर भी यह बात अति विचारणीय है, कि उन में से कोई भी रिवायत साफ़ शब्दों में यह नहीं कहती कि––मसीह अपने भौतिक शरीर के साथ आसमान से उतर कर धरती पर आयेंगे।

इस विषय में जो बात है वह सिर्फ़ इतनी ही है कि रिवायतों में *'नज़ूल'* और *'बअस्'* का शब्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस शब्द से यह

साबित नहीं होता कि हज़रत मसीह आसमान से उतर कर नीचे धरती पर आयेंगे। अरबी भाषा में *'नज़ूल'* शब्द एक आम सा शबद है जो किसी के भी आने वाले पर बोल दिया जाता है, आसमान से उतरना इस में शामिल नहीं। मेहमान को *'नज़ील'* (शब्दशः ऊपर से नीचे आने वाला) कह दिया जाता है, यानि आने वाला। इसी तरह *'बअस़'* शब्द में भी आसमान से उतरने का भाव शामिल नहीं। *'बअस़'* का मतलब उठना, या ज़ाहिर होना है, न कि सशरीर आसमान से उतरना।

मसीही रोल (role) का आगमन

असल हक़ीक़त यह है कि मसीह के आगमन से मुराद मसीह के रोल (role) का आना है। यानि अन्तिम युग में जब दज्जाल ज़ाहिर होगा, उस वक्त उम्मते मुहम्मदी का कोई महा पुरुष (अल्लाह के आदेशानूसार) उठेगा और मसीह जैसा रोल (role) आदा करते हुए दज्जाल के फ़ितनों का मुक़ाबला करेगा, और उसको परास्त करेगा। हदीस में दज्जाल के कतल किये जाने का ज़िक्र है। इसका अर्थ यह नहीं कि दज्जाल का शारीरिक रूप से वध किया जायेगा, बल्कि दज्जाल के फ़ितने को दलीलों और तर्कों से कतल करना है।

यह कोई अनोखी बात नहीं। मुसलमान विद्ववानों की एक ख़ासी संख्या हमेशा से यह मानती आई है कि मसीह कभी शारीरिक तौर पर आसमान से नहीं उतरेंगे। इस दृष्टिकोण को लेकर बाकायदा किताबें रची गई हैं। जो माननीय मुस्लिम विद्वान इस दृष्टिोण के समर्थक हैं उन में से कुछ एक के नाम ये हैं ———इमाम फ़ख़र उद्दीन अल्–राज़ी (देहांत 1210 ई॰), सैयद जमाल उद्दीन अफ़ग़ानी (देहांत 1897 ई॰), मुफ़्ती मुहम्मद अबदुहू (देहांत 1905 ई॰), सैयद रशीद रज़ा मिस्री (देहांत 1935 ई॰), शैख़ महमूद शलतूत (देहांत 1963 ई॰), डॉ॰ मुहम्मद इक़बाल (देहांत 1938 ई॰), मौलाना उबैद उल्लह सिंधी (देहांत 1944 ई॰), मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (देहांत 1958 ई॰), शैख़ मुहम्मद बिन अहमद अबू ज़हरा (देहांत 1974 ई॰), शैख़ मुहम्मद अल्–ग़ज़ाली (देहांत 1996 ई॰) वग़ैरह, (अधिक विस्तार केलिये देखें मासिक 'अल्–रिसालह' जुलाई 2008 में *'क़ुरबे क़यामत का मसला'* वाला निबंध)। प्रचीन उलेमा में अली बिन अहमद बिन हज़म अल्–इन्दिलिसी (देहांत 1063 ई॰) और शैख़ तक़ी अल्–दीन अहमद इबन तेमीयह (देहांत

1328 ई॰) ने ईसा के *'नज़ूल'* वाले मसले को विवादित घोषित किया है। इस तरह यह ज़ाहिर है कि रिवायतों से यह साबित नहीं होता कि मसीह कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो आसमान से उतरते गा। और जब मसीह आसमान से उतरने वाला कोई व्यक्तित्व ही न हो, तो हमारे लिय केवल एक ही विकलप (option) बाक़ी रह जाता है कि (प्रतिज्ञात) मसीह के आगमन को साधारण रोल (role) के माना में लें, यानि आख़िरी ज़माने में उम्मते मुहम्मदी से कोई व्यक्ति उठेगा जो ज़माने के हालाते के निमित मसीह का रोल (role) अदा करेगा।''

(मासिक *'अर्–रिसालह'*, मई 2010, पृ॰ 46, 47)